न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड.ा (राज0)

प्रकरण सं. 04/2017

दायर दिनांक 01/08/2017

1. मोहन पिता राजू भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप गगरानी निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी – सांवरमल रेबारी

अधिवक्ता अप्रार्थी ऋितुराज सिंह

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी0) रा0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः 05/09/2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन पिता राजू भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ़ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम काछोला प0 हल्का काछोलां तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 1728 व आराजी नम्बर 3374/2711 किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप गगरानी निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ ने पटवारी हल्का काछोला के आराजियात ग्राम काछोला के आराजी न0 आराजी न0 1728 व आराजी नम्बर 3374/2711 किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु विपक्षी बावजूद सूचना के दिनांक 07.01.2019 को उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा उक्त मामले में अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रस्तुत किया तथा भू0अ0नि0 काछोला की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 1728 रकबा 3 बीघा भूमि पर विपक्षी ने अवैध निर्माण कर रखा है अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है। अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा करना कानूनन न्यायोचित नही है तथा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरुद्व है।

तहसीलदार
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

अतः आदेश दिया जांता है कि ग्राम काछोला की आराजी न0 आराजी न0 1728 रकबा 3 बिस्वा पर अवैध पक्का निर्माण कार्य कर रखा जिसको ध्वस्त किया जाकर प्रार्थी को समलाया जाने हेतु भू0 अभि0 नि0 काछोला को लिखा जावें। यदि मौके पर कब्जा सम्भलाते वक्त कानुन व्यवस्था भंग होने का अन्देशा हो तो थानाधिकारी काछोला को लिखा जाये। भू0 अभि0 नि0 काछोला द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग की जावे तो आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे–आम इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार

(गोवर्धन लाल [illegible])

तहसीलदार माण्डलगढ

जिला भीलवाड़ा